न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)

उनवान : — शकुन्तला V/S महेन्द्र

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2 10/22	आज यह प्रार्थना-पत्र आर्डर 6 रूल 17 व धारा 151 जा०दी० पेश होने पर मूल वाद पत्रावली पर पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी को सुना गया पत्रावली का अध्ययन किया। वादीगण ने प्रार्थना-पत्र में अंकित किया कि प्रतिवादी स. 01 लगायत 05 के पिता का नाम जमाबंदी में रामलाल अंकित है। रामलाल को बोलते नाम रमल वाद-पत्र सहवन से लिख दिया गया। प्रतिवादी न. 05 का जमाबंदी मे लालाराम नाम दर्ज है लेकिन वाद पत्र में बोलते नाम पप्पू सहवन दर्ज कर दिया। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वाद-पत्र के निर्णय में शीर्षक में प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 के पिता का नाम रमल के स्थान पर रामलाल व प्रतिवादी नम्बर 05 का नाम पप्पू के बजाय लालाराम अंकित किया जावे। हमने पत्रावली का अध्ययन किया जमाबंदी हाल में प्रतिवादी न. 01 लगायत 05 का नाम रामलाल अंकित है। वाद पत्र में प्रतिवादी 01 लगायत 05 के पिता का नाम रमल दर्ज किया गया है। जबकि उसका जमाबंदी मे नाम रामलाल अंकित है व प्रतिवादी न० 5 का नाम लालाराम अंकित है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश है कि निर्णय के वाद शीर्षक में प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 के पिता का नाम रमल के स्थान पर रामलाल व प्रतिवादी नं० 05 का नाम पप्पू के स्थान पर लालाराम पढ़ा जावे। पत्रावली पूर्ववत् दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर) राज०	उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज